न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह)

राजस्व वाद सं. 117/2016
अन्तर्गत धारा 183, 188 RT Act.

5/7/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
इशानखां पुत्र अजीज खां, जाति– मुसलमान, नि0 हनुमानपुरा, तह0 शिव		1. मूसा खां, 2. आलम खां, 3. निजाम खां पि0 मूबारक, 4. रईस पुत्र खण्ड खां, 5. बाबू खा पुत्र राजू खां, 6. लाडू खां पुत्र खण्डू खां, 7. मोहम्मद पुत्र मुबारक, 8. छोटू खां पुत्र फजरेखां, 9. राजू, 10 सरादीन पि0 हकीम खां, जाति– मुसलमान, नि0 धनाणी मेघवालों की ढाणी, राजबेरा तह0 शिव, 11. हसीलदार शिव जिला बाडमेर।

अधिवक्तागण – श्री ईश्वरसिंह भाटी–वादी अधिवक्ता
श्री नरेन्द्रसिह सियाग अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 , 5 व 6

पत्रावली में संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के स्वयं की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 939/873 रकबा 23.00 बीघा भूमि ग्राम हनुमानपुरा, पटवार मण्ड़ल राजबेरा, तह0 शिव मे अवस्थित है। उक्त खेत के सेढे पर प्रतिवादी सं 1 से 10 का खेत खसरा नम्बर 876 आया हुआ है। उक्त प्रतिवादी वादी की खातेदारी भूमि में बोई गई फसल को क्षति पहुंचाने एवं उक्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के प्रयास में लगे रहते है। अतः वादी ने अपने खेत की सीमाएं सुरक्षित करने हेतु सक्षम न्यायालय से नेखमबंदी आदेष प्राप्त कर पैमाइष करवाई। बाद पैमाइष भू अभिलेख कानासर द्वारा तैयार मौका फर्द मय नक्षा के अनुसार वादी की 6.16 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 का अनाधिकृत कब्जा होना पाया गया। बावजूद समझाईष के वे खसरा नम्बर 939/873 रकबा 23.00 बीघा पर से अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटाने को तैयार नही हुआ।

अतः वादी ने मौजा हनुमानपुरा में अवस्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 939/873 से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने तथा अपने कब्जा काश्त में दखलंदाजी नही किये जाने के आष्य की प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 4 व 7 से 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः प्रतिवादगण संख्या 4 व 7 से 10 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण अपनी पैतृक खातेदारी भूमि पर वक्त सेटलमेण्ट से काबिज काष्त है तथा वादी का उक्त खेत आवंटन सुदा है। प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर वर्षो से काबिज है वर्ष

सहायक कलक्टर (SDO), शिव

Scanned by CamScanner

2014 में वादी की 06.16 बीघा भूमि पर कब्जा करने का तथ्य सरासर गलत है। अगर प्रतिवादीगण ने वर्ष 2014 मे वादी की भूमि के रकबा 06.16 बीघा भूमि पर कब्जा किया तो, उस समय वादी ने कोई विरोध क्यों नही किया।

वादीगण ने अपने वाद कथन के समर्थन मे वादी इसान खां पीडब्लू 1, उस्मान खां पीडब्लू 2, को परीक्षित तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे मौजा हनुमानपुरा अवस्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 939/873 की जमाबदी, उक्त भूमि मय पडौस का नक्शा ट्रेस, नेखबंदी आदेष की पालना में आईएलआर कानासर द्वारा तैयार मौका फर्द मय नक्शा दिनांक 14.11.15 व दिनांक 20.06.2016 की प्रतियां प्रस्तुत की है जबकि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेष नही किये।

उभय पक्ष की अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी वकील की बहस है कि वादी ग्राम हनुमानपुरा तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 939/873 रकबा 23.00 बीघा भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। उक्त भूमि की सीमा पर भारी विवाद है तथा प्रतिवादी सं 1 से 10 द्वारा 6.16 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। जिसकी पुष्टि आई.आर.एल. कानासर द्वारा तैयार मौका फर्द मय नक्शा से हो चुकी है। अतः वादी प्रतिवादी सं 1 से 10 को खसरा नम्बर 939/873 के अतिक्रमित भू भाग से जो 06.16 बीघा है, बेदखल करवाने तथा उनके विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस है कि नेखमबंदी आदेश की पालना में आईआरएल कानासर द्वारा जो मौका रिपोर्ट मय नक्शा तैयार की गई, उक्त पैमाईश के समय गावं की सुरियों से पैमाईश नही की गईं, इसलिए उक्त मौका रिपोर्ट गलत बनाई गई है। जिस कारण वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा व बेदखली का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादीगण का जवाब एवं वादीगण के वाद पत्र अनुसार न्यायालय द्वारा निम्न तनकी कायम कि गई।

1. वादी मौजा हनुमानपुरा तह0 शिव की खसरा नम्बर 939/873 रकबा 23 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 1 से 10 द्वारा 6.16 बीघा भूमि पर किये गये अनधिकृत कब्जे से उन्हें बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. बाद कब्जा हस्तातरण वादी वादग्रस्त भूमि के संमबध में प्रतिवादीगण के हिस्सा कब्जा काश्त में दखलंदाजी नही किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।
3. माननीय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर द्वारा मुस्तकिल बिन्दु कायम के बाद पैमाइश करने बाबत् जारी निर्देशों की पालना करवाये बिना वादी का वाद पोषणीय नही है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया वादी ग्राम हनुमानपुरार पटवार मण्डल राजबेरा तह0 शिव की खसरा नम्बर 939/873 रकबा

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

3.00 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा प्रतिवादी सं 1 से 10 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 876 उक्त भूमि के लगता हुआ है। आई.एल.आर. कानासर द्वारा नेखमबन्दी प्रकिया के दौरान मौका फर्द के संलग्न नक्शा में खसरा नम्बर 939/873 का डॉट–डॉट निशान से दर्शित भू भाग पर प्रतिवादी सं 1 से 10 का कब्जा है, जो अनाधिकृत कब्जे की श्रेणी मे आता है। प्रतिवादी वकील ने कहा कि गांव की सुरीयो (सीमा, द्योतक चिन्ह) से पैमाईश नही की गई थी। पैमाईश के लिए राजस्व अधिकारी भिन्न भिन्न परिस्थितियो में मौके की मांग अनुसार कई तरह के मुस्तकिल बिन्दुओ को आधार मानते हुऐ पैमाईश करते है। जैसे कि चार खेतो की मेडो का बिन्दु (चौमेडा), तीन खेतो की मेड का बिन्दु तिमेडा, सैटलमेन्ट का कुआ या गांव की सीमा के स्थायी बिन्दु। वर्तमान पैमाईश में तीन खेतो की मेड के बिन्दु को आधार मानते हुए पैमाईश की गई है। विप्रार्थीगण ने अपने जवाब दावे में न्यायालय डिवीजनल कमीश्नर जोधपुर के निर्देश का वर्णन किया है जिसमें माननीय न्यायालय ने " तहसीलदार शिव को निर्देशित किया कि दोनो पक्षो की मौजुदगी में मुस्तकिल बिन्दु से पैमाइश करने के पश्चात सीमाज्ञान करवाकर, पत्थर गढी की कार्यवाही की जावे "। परन्तु विप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त निर्णय की कोई भी प्रति वर्तमान प्रकरण मे रिकॉर्ड में प्रस्तुत नही की है। तहसीलदार शिव द्वारा की गई पैमाईश की मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट है कि विप्रार्थी निजाम और आलम नगरा ने हस्ताक्षर करने से मना किया अतः न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि सभी पक्षकारन मौके पर उपस्थित थे, पैमाईश निर्धारित प्रकिया को अपना कर नियामानुसार ही की गई थी।

उपरोक्त को ध्यान मे रखते हुऐ तनकी वार निर्णय निमानुसार है।

तनकी संख्या 1. राजस्व रेकर्ड अनुसार वादी खेत खसरा नम्बर 939/873 का रेकार्ड खातेदार है। बाद पैमाईश विप्रार्थीगण का अनाधिकृत कब्जा साबित हो गया है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष मे निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2. चूंकि वादी रेकर्डेड खातेदार है अतः धारा 188 अनुसार वह विप्रार्थीगण के विरूद्व, जो कि उनके सेढा पडोसी है, स्थायी निशेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष मे निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3. जैसा की उपर बताया गया है कि पैमाईश निर्धारित प्रकिया अपना कर ही की गई है। अतः तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूध मे निर्णीत की जाती है।

ऐसी सुरत मे उक्त अतिक्रमित भू भाग का कब्जा वादी को दिलवाये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम हनुमानपुरा तह0 शिव की खसरा नम्बर 939/873 रकबा 23.00 बीघा की 06. 6 बीघा भूमि जो आई एल आर कानासर द्वारा मौका फर्द के संलग्न तैयार नक्शे में डॉट–डॉट निशान से दर्शायी गई है, का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को एक

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

ाह की अवधि मे वादी को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। बाद गुजरने अवधि कब्जा वादी को सुपुर्द नही किये जाने की सूरत मे तहसीलदार शिव को उक्त कब्जा हस्तांतरण सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। आईएल आर ानासर द्वारा नेखमबंदी प्रक्रिया के दौरान मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस निर्णय ा अभिन्न अंग रहेगा। प्रतिवादी सं 1 से 10 के विरूद्व वादी के कब्जा काश्त में खलंदाजी नही देने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनाक 5/7/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह

वादी :– इशानखां पुत्र अजीज खां, जाति– मुसलमान, नि0 हनुमानपुरा, तह0 शिव

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. मूसा खां, 2. आलम खां, 3. निजाम खां पि0 मूबारक, 4. रईस पुत्र खण्ड खां, 5. बाबू खा पुत्र राजू खां, 6. लाडू खां पुत्र खण्डू खां, 7. मोहम्मद पुत्र मुबारक, 8. छोटू खां पुत्र फजरेखां, 9. राजू, 10 सरादीन पि0 हकीम खां, जाति– मुसलमान, नि0 धनाणी मेघवालों की ढाणी, राजबेरा तह0 शिव, 11. तहसीलदार शिव जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री ईश्वरसिंह भाटी–वादी अधिवक्ता
2. श्री नरेन्द्रसिह सियाग अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 , 5 व 6

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 5/1/17..........को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम हनुमानपुरा तह0 शिव की खसरा नम्बर 939/873 रकबा 23.00 बीघा की 06.16 बीघा भूमि जो आई एल आर कानासर द्वारा मौका फर्द के संलग्न तैयार नक्शे में डॉट–डॉट निशान से दर्शायी गई है, का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को एक माह की अवधि मे वादी को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। बाद गुजरने अवधि कब्जा वादी को सुपुर्द नही किये जाने की सूरत मे तहसीलदार शिव को उक्त कब्जा हस्तांतरण सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। आईएल आर कानासर द्वारा नेखमबंदी प्रक्रिया के दौरान मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। प्रतिवादी सं. 1 से 10 के विरूद्व वादी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नही देने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

निर्णय आज तारीख 5/1/17.......... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 14:58:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: